

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा  
146/2019

किस्म मुकदमा  
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक  
13.09.2019

निर्णय दिनांक  
04.09.2020

उनवान सरकार बनाम राजेश पुत्र प्रभात जाति अहीर निवासी सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्बत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सहड की राजकीय भूमि ख0 न0 623 किस्म गै0 मु0 जोहड कुल रकबा 0.96 है0 मे से 0.10 है0 पर अतिक्रमी राजेश पुत्र प्रभात जाति अहीर निवासी सहड ने अवैध रूप से पक्की दीवार बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 12.60/- का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 2.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 100/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनिया)  
तहसीलदार बुहाना

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 76  
पर 100/- की मांग कायम की गई।

Suman  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील बुहाना